

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

हसनपुर थाना काण्ड सं० 269/19,कम्प्यूटर निबंधन सं० 1572/19

20.01.20 आवेदक 1. **राजेश कुमार**, जो हसनपुर थाना काण्ड सं० 269/19, धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.19 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि० लोक अभि० को भी दी गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण राज जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र दुमश्नी के कारण इस झुठे वाद में फँसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती हैं। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दि० 31.12.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि० लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध धारा-30(a)बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर से 180एम०एल० का कुल 52 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक दि० 31.12.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो० दस हजार रू० के बंद-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। दोनों जमानतदार अभियुक्त का ग्रामीण होगा तथा आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या०-2

सह वि० न्या०उत्पाद